न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 2025	24.02.2025	04-04 2025

1. मुरलीधर पाण्डिया पुत्र श्री बख्तावरलाल पाण्डिया, निवासी आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा –

—— प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र छोगालाल ब्राह्मण, निवासी आमां तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र छोगालाल ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
3. जगदीशचन्द्र पुत्र देबीलाल ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
4. रूकमा पत्नी सुरेशचन्द्र ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
5. उदयलाल पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
6. पवन कुमार पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण, निवासी आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
7. बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
8. बाली देवी पत्नी सत्यनारायण ब्राह्मण, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
9. मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
10. भैरूलाल सेन पुत्र श्री मदनलाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
11. जगदीशचन्द्र आत्मज श्री कन्हैयालाल पण्डिया, उम्र वयस्क, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा भीलवाडा
12. चारभुजा नाथ मंदिर, आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
13. गंगाराम कुम्हार पुत्र मोहनलाल, निवासी मुरलिया, पंचायत आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. राजकुमार पुरोहित आत्मज श्री नामालुम, उम्र वयस्क, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
15. शंकरलाल पण्डिया आत्मज श्री भूरालाल पण्डिया, उम्र वयस्क, निवासी आमा, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
16. शंकरलाल पण्डिया आत्मज श्री मांगीलाल पण्डिया, उम्र वयस्क, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा
17. सीताराम पण्डिया आत्मज श्री ऊंकारलाल पण्डिया, उम्र वयस्क, निवासी आमां, तहसील सवाईपुर, उपतहसील बडलियास, जिला भीलवाडा भीलवाड़ा

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री निसार अहमद छीपा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 17 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमां पटवार हल्का आमां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला—भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजिया स्थित है जिसका खाता संख्या नया 151 पुराना 141 में वर्णित आराजी संख्या 1403/1, 1404 किता कुल 2 रकबा 0.1942 हेक्टेयर, एवं खाता संख्या 152 में आराजी संख्या 1425 किता 1 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, एवं खाता संख्या 153 में आराजी संख्या 1430 रकबा 0.0405 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 317 में आराजी संख्या 1230, 1403/2, 1405/1, 1431/1, किता 5 रकबा 1.6755 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम मुरलियां पटवार हल्का आमां भू0अ0नि0 क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी में खाता संख्या 150 में आराजी नम्बर 74/2, 74/4, 74/9, 75/1, 75/8 किता 05 रकबा 1.3503 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार क़ाश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम आमां पटवार हल्का आमां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजिया स्थित है जिसका खाता संख्या नया 151 पुराना 141 में वर्णित आराजी संख्या 1403/1, 1404 किता कुल 2 रकबा 0.1942 हेक्टेयर, एवं खाता संख्या 152 में आराजी संख्या 1425 किता 1 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, एवं खाता संख्या 153 में आराजी संख्या 1430 रकबा 0.0405 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 317 में आराजी संख्या 1230, 1403/2, 1405/1, 1431/1, किता 5 रकबा 1.6755 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम मुरलियां पटवार हल्का आमां भू0अ0नि0 क्षैत्र बडलियास तहसील कोटडी में खाता संख्या 150 में आराजी नम्बर 74/2, 74/4, 74/9, 75/1, 75/8 किता 05 रकबा 1.3503 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
भीलवाडा